वर्ष 2012-13 **से खरीफ व रब्बी मौसम में प्रति प्रखंड पाँच कृषक पाठशाला का आयोजन आत्मा, सीतामढ़ी द्वारा कराया जाना हैं। यह पाठशाला ‘‘करके सीखने व देखकर विष्वास करने’’ के सिद्धांत पर कार्य करता हैं। किसान पाठशाला कार्यक्रम को जिला स्तर पर चलाने के लिए परियोजना निदेशक, आत्मा, सीतामढ़ी द्वारा एक कार्यान्वयन पदाधिकारी का चयन किया जाता है। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी होते हैं। कार्यान्वयन पदाधिकारी उनकी अनुशसा पर पंचायत स्तर पर गाँव , प्रत्यक्षण स्थल, प्रशिक्षण स्थल एवं संचालक का चयन करते हैं। वर्ष 2012-13 खरीफ में कृषि सचिव के निर्देशानुसार श्री विधि से धान की खेती पर किसान पाठशाला का आयोजन किया जाना है।**

<u>किसान पाठशाला हेतु गाँव का चयन करने के लिए निर्देश</u>

1. **किसान पाठशाला की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है।**
2. **पंचायत के जिस गाँव होकर नेशनल हाईवे/ स्टेट हाईवे गुजरता हो उस गाँव को प्राथमिकता दी जाएगी।**

<u>प्रशिक्षण स्थल का चयन करने के लिए निर्देश</u>

1. **किसान पाठशाला की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है।**
2. **प्रशिक्षण स्थल हेतु कोई धार्मिक या निजी स्थल का चुनाव नही करना है।**
3. **प्रशिक्षण स्थल हेतु सार्वजनिक या सरकारी स्थल का चुनाव किया जा सकता है।**

4. **संभव हो तो संबंधित योजना के प्रत्यक्षण स्थल के नजदीक प्रशिक्षण स्थल का चुनाव हो।**

5. **ऐसे स्थान का चयन किया जाय जहाँ पर** 30 **से** 35 **व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो एवं किसी भी कृषक को वहाँ जाने में असुविधा तथा आपत्ति न हो।**

<u>किसान पाठशाला के संचालक का चयन करने के लिए निर्देश्</u>

1. **प्रत्यक्षण हेतु चयनित खेतों के किसानों में से प्रगतिशील इच्छुक कृषक को संचालक के लिए चयनित किया जाना है।**

2. **पाठशाला के संचालक को देय सेवा श्षुल्क रू.** 2674/-(**रूपया दो हजार छह सौ चैहत्तर मात्र) होगा। इस राशि में दरी , कुर्सी, टेबुल इत्यादी की व्यवस्था सम्मलित है।**

<u>प्रत्यक्षण स्थल का चयन करने के लिए निर्देश</u>

1. **प्रत्यक्षण स्थल मुख्य रूप से प्रगतिशील/ प्रशिक्षाणार्थी कृषक के खेत पर किया जाएगा जो अधिकतम एक हेक्टयेर क्षेत्र का होगा।**

2. **प्रगतिशील/ प्रशिक्षाणार्थी कृषक के पास यदि भूमि एक हेक्टेयर से कम है तो आस-पास के अन्य प्रशिक्षणार्थी के भूमि को मिलाकर एक हेक्टेयर प्रक्षेत्र में प्रत्यक्षण आयोजित किया जा सकता है।**

3. **प्रत्यक्षण स्थल सड़क के किनारे हो तथा सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था हो।**

4. **हर संभव प्रयास किया जाएगा कि प्रत्यक्षण स्थल नेशनल हाईवे/ स्टेट हाईवे/ पक्की सड़क के समीप हो तथा सड़क से ही फसल अच्छी तरह दिखाई दे सके।**

5. **यदि क्रमांक** 4 **के अनुरूप प्रत्यक्षण स्थल का चयन न हो पाता है तो प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रखण्ड के चयनीत किसी भी पंचायत होकर कोई भी नेशनल हाईवे/ स्टेट हाईवे/ पक्की सड़क नही गुजरती है, अतः प्रत्यक्षण हेतु दूसरे स्थान का चयन किया जा रहा है।**

6. **सचिव कृषि सह राज्य नोडल पदाधिकारी , आत्मा, बिहार के पत्रांक आत्मा** 05/2008-2767/**कृ**0/**पटना, दिनांक** 22.05.2012 **द्वारा निदेशित किया गया है कि किसान पाठशाला के संचालन के लिए उन्ही कृषकों का चयन किया जायेगा जो अपने प्रखण्ड में खरीफ** 2011 **में सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम पाँच में स्थान प्राप्त किया हो।**

<u>प्रशिक्षणार्थी कृषकों का चयन</u>

संबंधित किसान पाठशाला के संचालक 25 **इच्छुक कृषकों का चयन करेंगे। कृषकों के चयन में यह ध्यान अवश्य दें कि जो कृषक या कृषक समूह प्रत्यक्षण हेतु कम से कम एक हेक्टेयर जमीन उपलब्ध करा रहें हों उन्हें प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थी कृषक में अवश्य रखा जाय।**

<u>प्रति पाठशाला 29414/- रू. खर्च करने का प्रावधान है, जिसे साधरणतया निम्न मद में विभक्त किया जाता है -</u>

1. फार्म स्कूल पर प्रत्यक्षण अधिकतम क्षेत्र 2.5 एकड रू. 7500/-

किसान पाठशाला में एक हेक्टेयर जमीन पर फसल का प्रत्यक्षण कराया जाता है। प्रत्यक्षण पर अधिकतम 7500/- **रू. व्यय करने का प्रावधान है।**

2. Logistic Support के लिए एक मुश्त सहायता राशि रू. 1000/-

इस मद से एक मेज, कुर्सी, बेंच, दरी, लोटा, बाल्टी, प्लेट, ग्लास, ब्लैकबोर्ड, डस्टर आदि की व्यवस्था का प्रावधान है। साधारणतया प्रति पाठशाला निम्न सामग्री की आपूत्रित विभाग द्वारा की जाती है, जो पाठशाला के संचालक के पास सुरक्षीत रहता है -

सामग्री का नाम		प्रति पाठशाला मात्रा
1.	**बाल्टी**	1 **नग**
2.	**जग**	1 **नग**
3.	**मग/ लोटा**	1 **नग**
4.	**ग्लास**	2 **नग**
5.	**व्हाइट बोर्ड (प्रशिक्षण हेतु)**	1 **नग**
6.	**मार्कर पेन**	1 **नग**

3. आकस्मिक व्यय रू. 2000/-

इस मद से लेखन सामग्री एवं अन्य छूट-पुट व्यय करने का प्रावधान है। साधारणतया निम्न सामग्री की आपूर्त्ति की जाती है -

<u>सामग्री का नाम</u>	**<u>प्रति पाठशाला मात्रा</u>**
1. **प्रशिक्षण स्थल हेतु बोर्ड**	1 **नग (संचालक के पास सुरक्षीत)**
2. **पेन**	28 **नग(**25 **प्रषिक्षणार्थी**, 2 **प्रशिक्षक व** 1 **संचालक)**
3. **पैड**	28 **नग(**25 **प्रषिक्षणार्थी**, 2 **प्रशिक्षक व** 1 **संचालक)**
4. **फोल्डर**	28 **नग(**25 **प्रषिक्षणार्थी**, 2 **प्रशिक्षक व** 1 **संचालक)**
5. **प्रत्यक्षण स्थल हेतु बोर्ड**	1 **नग (प्रत्यक्षण स्थल के भूधारी के लिए)**

4. 25 प्रशिक्षणार्थियों के लिए आई0 पी0 एम0 किट रू. 200/-प्रति किट रू. 5000/-

इस मद से प्रशिक्षणार्थियों के लिए आई0 **पी**0 **एम**0 **किट देने का प्रावधान है।**

5. प्रशिक्षण पर व्यय

क. 2 **प्रशिक्षकों को मानदेय रू** 250/-**प्रति प्रशिक्षण**, **कुल** 6 **प्रशिक्षण रू.** 3000/-

ख. 2 **प्रशिक्षकों का यात्रा व्यय रू** 150/-**प्रति भ्रमण**, **कुल** 6 **भ्रमण रू**1800/-

ग. 25 **प्रशिक्षणार्थियों**, **एक संचालक व दो प्रशिक्षकों सहीत कुल** 28 **व्यक्तियों का खान-पान पर व्यय रू.** 30/-**प्रति व्यक्ति** 6 **दिन रू.**5040/-

घ. 25 **प्रशिक्षणार्थियों, एक संचालक व दो प्रशिक्षकों सहीत कुल** 28 **व्यक्तियों का पाठ्य/ प्रशिक्षण सामग्री** 50/-**प्रति पुस्तक रू.** 1400/-

6. फार्म स्कूल के संचालक को देय सेवा शुल्क **रू. 2674/-**

उपरोक्त मद का कुल योग **रू.** 29414/-